न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना, मेरठ।

फाईनल रिपोर्ट / **फौज0 विविध वाद सं0–30 / 2025**

अनुज कुमार बनाम अज्ञात

मुकदमा अपराध संख्या–324 / 2024
अन्तर्गत धारा–191(1),115(2),352 बी.एन.एस.
थाना– मवाना, जिला– मेरठ

दिनांकः–15.11.2025

पत्रावली प्रस्तुत। वादी मुकदमा अनुपस्थित है।

पत्रावली एवं केस डायरी का अवलोकन किया। वादी मुकदमा जारी सूचना के उपरांत अनुपस्थित है। चुटैल का लिखित कथन है कि उसने एक्सरे नहीं कराया है। विवेचक द्वारा प्रकरण में विवेचना उपरांत अंतिम आख्या सुरागरसी व पतारसी में प्रेषित की गयी है। एफ.आर. अज्ञात में दर्ज है। विवेचना में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अंतिम आख्या लम्बित रखना न्यायोचित प्रतीत नही होती है। मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यमान परिस्थियों में प्रस्तुत प्रकरण में प्रेषित अंतिम आख्या को स्वीकार किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार अंतिम आख्या स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रस्तुत प्रकरण मुकदमा अपराध संख्या 324 / 2024 अन्तर्गत धारा 191(1),115(2),352 बी.एन.एस.थाना–मवाना,जिला मेरठ में प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

। प्रशान्त मौर्य।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, मवाना
(मेरठ)
I.D.No.UP.3377